राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या–65/2015........................ जिला ....जयपुर..

उनवान : मैसर्स ए.बी.बी. इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम वाणि.क.अधि., प्रतिकरापवंचन–II, राज., जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/08/2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 524/2015/जयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.04.2015 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 15.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के अन्तर्गत वसूल योग्य विवादित राशि की वसूली कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित करते हुए अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण पर तीन माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 22.04.2015 के द्वारा निर्णय प्राप्ति से तीन माह की अवधि के लिये स्थगन दिया गया था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है। किन्तु अपीलीय अधिकारी के दिनांक 31.05.2015 को सेवानिवृत्त हो जाने तथा अधिकृत प्रतिनिधि श्री पाटौदी की पत्नी की गम्भीर बीमारी के कारण दिनांक 20.07.2015 को निधन हो जाने के कारण अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकने के कारण अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रकरण का निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं होने के कारण स्थगन की अवधि प्रकरण के निस्तारण तक बढ़ाई जावे। बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रकरण में स्थगन की अवधि बढ़ाये जाने का विरोध करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन करने तथा प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 524/2015/जयपुर में पारित आदेश दिनांक 22.04.2015 द्वारा दिये गये स्थगन की अवधि को **दिनांक 15.11.2015** तक बढ़ाया जाता है। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 15.11.2015 तक प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। मनोहर पुरी 06.08.2015 — सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड 06.08.2015 — सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड	